[redacted]

अति आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/ 707 दिनांक : 13/5/11

समस्त अधीक्षक,
मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला/सैटेलाईट/उपखंड चिकित्सालय

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना
परिपत्र संख्या 19

विषय – माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03–04 मई 2011 को जिला उदयपुर में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03–04 मई, 2011 को जिला उदयपुर में भ्रमण के दौरान यह घोषणा की गई है कि ''प्रदेश में बीपीएल परिवारों के निःसंतान दंपत्तियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।''

अतः इस संबंध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के निःसंतान दंपत्तियों के उपचार हेतु सभी जाँचें, दवाईयां एवं आवश्यकता होने पर विशेष उपचार प्रक्रियाओं (Procedures) की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इलाज पर किये गये सम्पूर्ण व्यय का पुनर्भरण मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत आवंटित बजट में से किया जावेगा।

उपरोक्त सुविधा मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप देय होगी।

(बी0एन0 शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय जयपुर को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक मुम./डीडीएस /घोषणा/2011, दिनांक 10.05.2011 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय जयपुर।

3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. निजी सहायक, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
11. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय।
12. निदेशक, आई.ई.सी./प0क0/जन स्वास्थ्य/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी/एमएमजेआरके/एनआरएचएम।
14. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
15. डेमोग्राफर, आरसीएच, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
16. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरियों को भेजकर लेख है कि वो अपने स्तर से समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परिपत्र की प्रति भिजवायें।
18. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम को भेजकर लेख है कि वो अपने स्तर से समस्त ब्लॉक कर्क्रम प्रबंधक, एनआरएचएम को परिपत्र की प्रति भिजवायें।
19. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई–मेल करवाये।
20. सलाहकार, (आई.टी.) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन